

कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड रामनगर नैनीताल

पत्र सं 804 / 22-1(7), दिनांक रामनगर

अप्रैल 21-10-2011

सेवा में,

श्री अजय एम0मराठे,

504न्यू सर्वोदय सी0एच0एस0लि0,

सैक्टर -4 प्लॉट संख्या -29 बी,

वासी, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र- 400703

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- आपका पत्रांक रिक्त दिनांक 3.8.2011 तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड (नैनीताल) का पत्रांक 271/22-1(7) दिनांक 8.9.2011

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

सूचना जो मांगी गई है ।	उत्तर जो दिया जा रहा है ।
In January, February 2011 shoot at sight order were issued and a tiger was shot dead around Corbett Tiger Reserve please provide me with certified copies of all the records/documents about the tiger before (for e.g. Pug marks, Camera Trap efforts taken to tranquilize and Capture the tiger) and after killing the tiger (for e.g. Post mortem report, any other analysis).	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर का पत्रांक 45 टी0सी0/9-1 दिनांक 29.1.2011 के साथ प्राप्त संलग्नक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, मौके का नजरिया नक्शा की छाया प्रतियां तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड द्वारा बाघ को आदमखोर घोषित कर नष्ट करने के आदेश की छाया प्रति संलग्न है।
In a shocking incident, villagers in Uttarakhand burned a leopard as forest officials watched. It was locked in a cage kerosene was poured upon the animal and it was set on fire. The creature could not escape and people just watched the brutal killing of it. Among the onlookers were several forest officials who did nothing to save the animal. Please provide me with the following information 1-true copies of the crime lodged of any against the Persons for killing the leopard. 2-Names / designation of forest officials who were mute sputatives. 3-Action taken if any against such forest officials in (2)above.	प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैसडौन के पत्रांक 2781/6-28 दिनांक 24.3.2011 से प्राप्त संदर्भित विषयक प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित हैं:- 1- वन क्षेत्राधिकारी अदनाला रेंज का पत्र 312/6-1 दिनांक 23.3.2011 की छाया प्रति 2-प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व का पत्रांक 2779/6-28 दिनांक 24.3.2011 3-उप प्रभागीय वनाधिकारी अदनाला का पत्रांक 2781/6-28 दिनांक 24.3.2011 की छाया प्रति 4-पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति 5- पंचनामा की छाया प्रति 6-थाना लिखणीखाल में एफ0आई0आर0 की छाया प्रति

भवदीय,

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
रामनगर (नैनीताल)

पत्र सं 804/22-1(7) दि 21-10-11

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड नैनीताल को उनके पत्रांक 271/22-1(7) दिनांक 8.9.2011 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
रामनगर (नैनीताल)